रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-टी.एल.-अ.-08012025-260051 CG-TL-E-08012025-260051

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946 No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2025

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/1/208/2025.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) (संशोधन) विनियम, 2025 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्यः

इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य प्राधिकरण की बैठकों की स्पष्टता और कार्यकुशलता में वृद्धि करना है।

- 3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) विनियम, 2000 में,-
 - (1) विनियम 2 के खंड (ङ) में, शब्द `पदनामित अधिकारी' को `सचिव' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

96 GI/2025 (1)

(2) विनियम 3 में

- (क) वर्तमान उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
 "प्राधिकरण आवश्यक समझे गये रूप में बारंबारता के साथ बैठक कर सकता है, परंतु अपने व्यवसाय का संचालन

 करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में सामान्यतः 4 बार बैठक करेगा।"
- (ख) वर्तमान उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
 "अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में प्राधिकरण का वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण की बैठकों की तारीख,
 समय, पद्धति और स्थान निर्धारित करेगा तथा बैठकों के लिए कार्यसूची की मदों का अनुमोदन करेगा।"
- (ग) वर्तमान उप-विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"सचिव द्वारा बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची सामान्यतः सात दिन पहले अग्रिम रूप से परिचालित की जाएगी। बशर्ते कि, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से इन्हें सात दिन से कम समय में परिचालित किया जा सकता है।"

(3) विनियम 5 में

- (क) वर्तमान उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (1) "पूर्वोक्त विनियमों में किसी बात के होने के बावजूद, अध्यक्ष कम से कम चौबीस घंटे की नोटिस देने के द्वारा प्राधिकरण की आपाती बैठक अपनी राय में अत्यावश्यक निर्णय की अपेक्षा रखनेवाली किसी भी मद पर विचार करने के लिए किसी भी समय अथवा स्थान पर बुला सकता है।

तथापि, आपात स्थिति में अध्यक्ष प्राधिकरण की तात्कालिक बैठक बुला सकता है।"

(ख) वर्तमान उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"अध्यक्ष कोई आपाती बैठक तब भी बुला सकता है यदि सदस्यों की कुल संख्या में से आधी से अन्यून संख्या में सदस्यों के द्वारा वह प्रयोजन बताते हुए जिसके लिए वे बैठक बुलाना चाहते हैं, हस्ताक्षरित लिखित में माँग प्राप्त करता है। ऐसी माँग प्राप्त होने पर अध्यक्ष कम से कम चौबीस घंटे की नोटिस देने के द्वारा, माँग की गई आपाती बैठक बुलाएगा।"

(4) विनियम 6 में

- (क) वर्तमान उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "सचिव, अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य, जैसी स्थिति हो, का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र प्राधिकरण की बैठक अथवा प्राधिकरण की समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अभिलिखित करेगा तथा उक्त कार्यवृत्त की प्रविष्टि उस प्रयोजन के लिए रखी गई बहियों में करेगा।"
- (ख) उप-विनियम (4) को हटाया जाएगा।
- (ग) उप-विनियम (9) में, शब्द `पदनामित अधिकारी' को `सचिव' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (घ) उप-विनियम (10) में. शब्द `पदनामित अधिकारी' को `सचिव' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./874/2024-25]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, 1st January, 2025

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Meetings) (Amendment) Regulations, 2025

F. No. IRDAI/Reg/1/208/2025.—In exercise of the powers conferred under sub section (4) of section 10 read with clauses (a) and (b) of sub section (2) of section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act,1999 the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend IRDA (Meetings) Regulations, 2000, namely:

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Meetings)(amendment) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives:

The objective of these amendment regulations is to enhance the clarity and efficiency of the meetings of the Authority.

- 3. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Meetings) Regulations, 2000, -
 - (1) In clause (e) of regulation 2, the words 'Designated Officer' shall be substituted with 'Secretary'.
 - (2) In regulation 3
 - (a) For the existing sub regulation (2) the following sub regulation shall be substituted, namely:-
 - "The Authority may meet as often as may be considered necessary but shall meet generally 4 times in a financial year, to transact its business."
 - (b) For the existing sub regulation (4), the following sub regulation shall be substituted, namely:

 "The Chairperson and in his absence, the senior most full time member of the Authority shall fix the date, time, mode and place of meetings of the Authority and approve the items of agenda for the meetings"
 - (c) For the existing sub regulation (5) the following sub regulation shall be substituted, namely:-
 - "The notice and agenda for the meeting shall be normally circulated seven days in advance by the Secretary.
 - Provided that, if deemed necessary, the same may be circulated in less than seven days, upon approval of the Chairperson of the Authority."

(3) In regulation 5

- (a) For the existing sub regulation (1) the following sub regulation shall be substituted, namely:-
 - (1) "Notwithstanding anything contained in the foregoing regulations, the Chairperson, may, by giving at least twenty-four hours' notice, convene an emergent meeting of the Authority at any time or place to consider any item, which in his opinion, requires an urgent decision.
 - However, in case of emergency, the Chairperson may call for an immediate meeting of the Authority."
- (b) For the existing sub regulation (2) the following sub regulation shall be substituted, namely:-
 - "The Chairperson shall also call an emergent meeting if he receives the requisition in writing, signed by members constituting not less than one half of the total strength, stating the purpose for which they desire the meeting to be called. Upon receipt of the requisition, the Chairperson shall by giving at least twenty four hours' notice, convene the requisitioned emergent meeting.

(4) In regulation 6

- (a) For the existing sub regulation (1) the following sub regulation shall be substituted, namely:"The Secretary shall at the earliest record the minutes of the proceedings at the meeting of the Authority or committee meeting of the Authority and after obtaining the approval of the Chairperson or the presiding member, as the case may be, enter the minutes in books kept for that purpose."
- (b) Sub regulation (4) shall be omitted.
- (c) In sub regulation (9), the words 'Designated Officer' shall be substituted with 'Secretary'
- (d) In sub regulation (10), the words 'Designated Officer' shall be substituted with 'Secretary'

DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./874/2024-25]